संख्या-3/1463/38-4-14-05(बजट)/2012

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक-18 दिसम्बर, 2014**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20 फरवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2050/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-01 नवम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-26/38-4-14-05(बजट)/2012, दिनांक-19 जून, 2014 तथा शासनादेश संख्या-2/1328/38-4-14-05(बजट)/2012, दिनांक-10 दिसम्बर, 2014 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण की कार्यवाही निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

1- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवास की लागत में वृद्धि के पूर्व जिन लाभार्थियों द्वारा प्राप्त प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष आवास निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है, अर्थात भौतिक रूप से पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल 28.30 वर्ग मीटर में ही निर्माण कराया जा रहा है, उन लाभार्थियों को रूपये 2.75 लाख (सोलर लाइट सहित) देय होंगे और जिन प्रकरणों में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, उस मामले में नवनिर्धारित दर रूपया-03.05 लाख (सोलर लाइट सहित) देय होगा और आवास निर्माण 30.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा। और ऐसे मामले के निर्धारण के लिये निम्नवत प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-

(क)- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्माणाधीन आवासों का फोटो लिया जायेगा, जिसमें फोटो के साथ तिथि भी प्रदर्शित हो।

(ख)- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत ऐसे मामले को सूचीबद्ध करते हुए निम्नलिखित प्रारूप पर सूची तैयार कर ब्लाक स्तर एवं जिला स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी और उसकी एक प्रति मुख्यालय पर उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यालय पर उपलब्ध करायी जाने वाली सूची पर मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर हो:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	समग्र ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	जाति/वर्ग	धनराशि अवमुक्ति की तिथि	चेक नं0/बिल नं0	फोटो लेने की तिथि को निर्मित आवास का स्तर (कुर्सी स्तर/लिंटर स्तर)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग)- जिन मामलों में दिनांक-13-11-2014 के पश्चात धनराशि अवमुक्ति की गयी है, उन सभी मामलों में रू0-3.05 लाख की धनराशि (सोलर लाइट सहित) देय होगी।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/1463(1)/38-4-2014, तददिनांक:-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
4-समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0 ।
5-निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-2
7-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4
8-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9-एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in